न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 61 /बी–121/2014–15

: आदेश ::

(आज दिनांक 17/08/2015 को पारित किया गया)

प्रकरण तहसीलदार अलीराजपुर का होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 21.06.2015 को तेज आंधी तूफान/अतिवृष्टि के कारण पशु शेड गिर जाने से सकरी पति इडला जाति भिलाला निवासी ग्राम सोमकुआ दबने से घटनास्थल ग्राम सोमकुआ पर ही मृत्यु हो गई है। मृतक के निकटतम वारिशान मे उसके पति इडला पिता मालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम सोमकुआ को 4,00,000/– (चार लाख रूपये) की आर्थिक सहायता की अनुशंसा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अलीराजपुर द्वारा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र,एफ.आई.आर. पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 संशोधित राजस्व विभाग का ज्ञाप कमांक/एफ 6–6/2012/सात–3 भोपाल दिनांक 24 /7/ 2015 की कंडिका–5(1) के अनुसार तेज आंधी तूफान/अतिवृष्टि के कारण पशु शेड गिरने से मृतक के निकटतम वारिश में उसके पति इडला पिता मालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम सोमकुआ को 4,00,000/–(चार लाख रूपये) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।**

उक्त व्यय मांग संख्या 58–लेखाशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबध में राहत; 003–अग्नि पिड़ितो को राहत– आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/1418 /रीडर/2015 अलीराजपुर दिनांक 18/8/2015

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर (संलग्न :–बैक खाते की छाया प्रति)
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
5–सहायक जनसंपर्क अधिकारी अलीराजपुर की ओर प्रकाशन हेतु।
6 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
7 संबंधित इडला पिता मालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम सोमकुआ की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर